आदेश अधीन धारा 3 आफ पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918

जैसा कि सभी को विदित है कि वर्षा ऋतू आरम्भ हो चूकी है तथा किसी भी समय वर्षा होने से जिला कैथल के शहरो/कस्बों तथा गांवों के इलाके में बाढ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेरे विचार में नहरों/नदियों/ड्रेनों/बान्धों/पूलों तथा रेलवे लाईनों की सुरक्षा करना अति आवश्यक है, जिसके लिए जिला कैथल के गांवों/कस्बों और शहरों में तूरन्त प्रभाव से ठीकरी पहरा लगवाकर गश्त करना अति आवश्यक है।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैं, **डा0 प्रियंका सोनी, भा0प्र0से0, जिलाधीश, कैथल** दि पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी स्वस्थ नौजवानों की डयूटी लगाती हूं कि वह अपने क्षेत्र में पडने वाली नहरों/नदियों/ड्रेनों/बान्धों/पूलों तथा रेलवे लाईनों को टुटने से बचाने के लिए व इनकी सुरक्षा हेतू ठीकरी पहरा देंगे तथा टुट–फूट की मुरम्मत करेंगे। यदि कहीं पर कोई पुलिया बन्द हो तो उसे खोल दिया जाए। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी सम्बन्धित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी /खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत/लोकल बाडिज की होगी। यह आदेश दिनांक 17–07–2019 से 16–09–2019 तक लागू रहेंगे।

इन आदेशों का प्रचार जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी/तहसील/ लोकल बाडिज/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा ग्राम पंचायतें करेंगी।

इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दि पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई 2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रांक सहित जारी हुए।

जिलाधीश, कैथल।

पृ0 क्रमांक 9430–70 /एम0ए0 दिनांक 17–07–2019

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व आपदा एवं प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ।
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह चण्डीगढ।
4. आयुक्त, करनाल मण्डल, करनल।
5. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिरीक्षक पुलिस, करनाल मण्डल, करनाल।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल।
8. राज्य के सभी उपायुक्त।
9. पुलिस अधीक्षक, कैथल।
10. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), कैथल/गुहला/कलायत।
12. जिला राजस्व अधिकारी, कैथल।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
14. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
15. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, कैथल।
16. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, कैथल।
17. सचिव, नगरपालिका, चीका/पूण्डरी/कलायत।
18. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
19. आशुलिपिक उपायुक्त/नगराधीश।
20. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कैथल को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त आदेशों को जिला कैथल की वैबसाईट पर अप–लोड करने का कष्ट करें।

जिलाधीश, कैथल।